traffic survey done for this line in 1946-47 to examine the feasibility of taking up the gauge conversion of this section. But since then there has been no proposal under the consideration of the Ministry.

†SHRI JAGADISH JANI: Mr. Chairman, Sir, the Naupada Gunpur line is located in a backward area on the border of Orissa and Andhra Pradesh. There is a public demand for the conversion of this line. Will the hon. Minister take the needs of the local public into consideration and implement the proposal during the Seventh Plan period?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, I would like to reiterate that there is no such proposal under consideration, certainly not in the Seventh Plan.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Use of Hindi in Official work in JNU

*203. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any ban on the use and propagation of Hindi in the Jawaharlal Nehru University, New Delhi; and

(b) whether it is a fact that applications written in English only are invited and that aplications in Hindi with English translation only are entertained?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. As far as the applications for admission to various programmes of study are concerned, they are required to be filled in English only.

†English translation of original supplementary put in Oriya.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, regarding the answer to part (b), there is a slight modification. I am sorry. The answer is :

"(b) Yes, Sir. As far as applications for admission to various programmes of study are concerned, they are required to be filled in English only."

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambi Prasad Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या राजभाषा अधिनियम इस विश्वविद्यालय में लागू है या नहीं ? अगर नहीं है तो 17 वर्ष से जो वार्षिक कार्यक्रम है इसका वह पूरा हुआ है या नहीं ? 'क' में आपने मॉडिफिकेशन किया है इसलिए मैं जरा साफ करके पूछना चाहता हूं कि 10+2+2 पास होने वाले को प्रवेश परीक्षा देनी होती है वह अंग्रेजी में होती है । इसी तरह से जो स्नातकोत्तर, एम ए की जो प्रवेश परीक्षा है वह भी अंग्रेजी में ली जाती है । लैंग्वेज कोर्सों की भी परीक्षा अंग्रेजी में ली जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह लागू है तो फिर इस प्रकार की व्यवस्था क्यों है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह लागू तो है पर जितनी तेजी से इस दिशा में काम करना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो रहा है । माननीय सदस्य की इस भावना का आदर करते हुए इस दिशा में यूनिवर्सिटी का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि कम से कम इश्तहार के सम्बन्ध में, जो भर्ती के फार्म हैं, अगले स्तर में वे अंग्रेजी के साथ हिन्दी में अवश्य चालू करें । स्नातकोत्तर के बाद उच्च थीसीस के सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि इसमें दस-एक थीसिस सब्मिट की हुई हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा सवाल है कि बी ए से, जो पास कर के खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिन्दी क्षेत्रों से जो आते हैं उनके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया गया है इस ब्रिज कोर्स में एक वर्ष से अधिक समय लगता है उसका भी टेस्ट का, एडमिशन का जो पर्चा होता है वह भी अंग्रेजी

में होता है । यह तो संविधान को ही नहीं बल्कि हिन्दी जानने वाले छात्रों को रोकने के लिए यह विधिवत योजना है । यह जो विश्वविद्यालय ने प्रतिबन्धात्मक योजना बना रखी है इसको दूर करने की बात से हल्की-हल्की बात करके निकल जाना चाहती है । व्यवस्थित रूप से जो राजभाषा अधिनियम है 23 वर्ष है और उसका जो कार्यान्वयन कार्यक्रम है वह एक वर्ष से नहीं 23 वर्ष से है । राजभाषा वार्षिक आगामी हिन्दी कार्यक्रम का आज 18वां वर्ष है । वार्षिक कार्यक्रम का तो धीरे-धीरे भी हो रहा है तो 23 वर्ष और 18 वर्ष का क्या परिणाम है यह बता दीजिए ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है और इसमें उत्तर प्रदेश की बात आ गयी है । मुझे इसके बारे में अलग से सूचना चाहिए । जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ कार्य कर लिया है । इस दिशा में एक योजना बनाई गई है गवर्नमेंट आफ इंडिया के माध्यम से कि जो स्टेण्डर्ड बुक्स है जिनकी आवश्यकता यूनिवर्सिटी लेवल पर पड़ती है हमारे 8वें शीड्यूल में जितनी भाषाएं है उनमें उनका अनुवाद कराया जाए और उपलब्ध कराया जाय । ग्रन्थ एकाडेमी भी स्थापित की गई है जिसके लिए हमारे 15 राज्यों ने एक करोड़ स्वीकार किया है जिसमें 6,675 किताबें हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में पब्लिश्ड हुई है । इसके अतिरिक्त यू जी सी ने भी हिन्दी को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए कई कार्यक्रम बनाए है । 840 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए है । इनमें से कुछ कम्पलीट हो चुके है । कुछ प्रोसेस में है और कुछ करने बाकी है । इसके अतिरिक्त एक कमीशन बनाया गया है जो साइंटिफिक एंड टेक्नीकल टर्मिनोलोजी की ग्लोसरी तैयार कर रहा है । 14 लाख टर्म्स है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मैंने बताया है कि 14 लाख की टर्म्स हमारी ग्लोसरी में तैयार की गई है । ये तैयार हो गये है । इसके अतिरिक्त जो हिन्दी डायरेक्टोरेट है वह ट्राइलिंग्वल, मल्टीलिंग्वल और बाईलिंग्वल डिक्शनरीज बना रहा है । 11 जो डिक्शनरीज है उनमें एक मल्टीलिंग्वल है, चार ट्राईलिंग्वल है और छः बाईलिंग्वल है । मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है । इस संबंध में माननीय सदस्य के जो सुझाव है उनको दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगले सत्र से हमारे इश्तिहार और फार्म्स, दोनों को हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ छापा जाएगा ।

MR. CHAIRMAN: I want to go to the next question. I do not want any language controversy.

SHRI R. MOHANARANGAM: Just one clarification; there is no controversy. In reply to the first part of the question the Minister said 'No'. It is correct. It means there is no ban on the use and propagation of Hindi. If that is the case, I want to know exactly whether any step has already been taken not to ban the use and propagation of Hindi. The second part of my question is when almost all foreign countries where English is not the language come forward to learn English, what exactly is the reason for trying to reduce the standard of English in the name of development of regional languages?

MR. CHAIRMAN: Question not relevant...

SHRI R. MOHANARANGAM: No, no; the first part of the question is relevant.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : In regard to 'No' to the first part of the question I say it is 'No' . . .

SHRI R. MOHANARANGAM : That means you are propagating Hindi in Jawaharlal Nehru University.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : You may interpret it. My answer to the question whether there is any ban on the use and propagation of Hindi in the Jawaharlal Nehru University,

New Delhi, is 'No'. And recently a Hindi unit has also been set up with a Professor to look after it. That does not mean 'Yes'. That is in conformity with the answer that has been given. Regarding Delhi University, it also has the character of a Central university. People come from all over the country to study post-graduation. But that does not mean that work in Hindi should not be made.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जितने भी पत्र-विपत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं उन सब को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में छापा जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रगामी प्रतिवेदन के खण्ड 4 को 15 और 16 भाग हैं उनके मुताबिक वह सरकार पर बिलकुल निगम है कि कोई भी काम जो द्विभाषीक रूप में चलता हो वह हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में होगा । लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में होगा । संविधान कहता है और भाषा अधिनियम कहता है कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में चलेगा। ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अंग्रेजी में ही क्यों चलता रहा और इसको हिन्दी में ही क्यों नहीं किया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केवल हिन्दी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी अंग्रेजी के बदले अन्य भारतीय भाषाओं को भी प्रस्थापित करने के लिए आपके जरिए से अन्य विश्वविद्यालयों में नेहरू विश्वविद्यालय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में सभी बात नहीं कहीं थी । मैंने यह अवश्य कहा था कि नेक्स्ट एकडेमिक ईयर से मंत्रालय के सुझाव को युनिवर्सिटी ने स्वीकार करा है जो इश्तिहार और एडवरटाइजमेन्ट और जो एप्लीकेशन्स मांगी जाती है भर्ती के लिए, उसके फार्म के साथ-साथ हिन्दी में भी होंगे । जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है और जो मौलिक प्रश्न, है उसकी दिशा में कार्य हो रहा है और जल्दी से जल्दी कार्य किया जाएगा ।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Chairman, Sir, as the honourable Minister has correctly stated, the Jawaharlal Nehru University was started to accommodate and educate students coming from all over the country and not from the Hindi belt alone. To allay the fears of the non-Hindi-speaking people, the late Pandit Jawaharlal Nehru gave an assurance that English shall continue alongwith Hindi. But this assurance of his has been thrown to the winds in almost all the Departments and all the Ministries. Even in the statement, Sir, the Minister has stated that the UGC has taken certain measures for the propagation of Hindi. Can I get an assurance from the honourable Minister that the Government will not yield to such pressures from the Hindi zealots?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, there is no question of the Government yielding to the pressures of any zealots and this is not a violation of what has been said by Pandit Jawaharlal Nehru. The Education Policy of 1968 clearly lays down what should be done and I do not think that there is any incompatibility between this and that.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Rathvakoli.

श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवाकोली : श्रीमान, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है । जहां तक हिन्दी के प्रयोग की बात आती है हमारे पास जितने भी पेपर्ज आते हैं उसमें जितने भी आंकड़े होते हैं या यह जो हमें प्रश्नावलि दी गई है इसमें भी जितने आंकड़े होते हैं वे सब अंग्रेजी में होते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास हिन्दी में कोई अंकड़े नहीं हैं या हैं, अगर हैं तो उनको उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जरुर अगर हिन्दी में होगे तो इस पर ध्यान दिया जाएगा ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Aladi Aruna.

SHRI R. MOHANARANGAM: Sir, the discus ion is going on here as if there are only two languages, English and Hindi.

(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI R. MOHANARANGAM: Really I am asking, Sir, whether there are only two languages, English and Hindi, because. . . .

MR. CHAIRMAN: No, please. You have already been given a chance and the Member from your party is being given a chance now.

(*Interruptions*).

SHRI R. MOHANARANGAM: That is not the question, Sir. Really I am asking whether there are only two languages in the country, English and Hindi, because the discussion is going on like that. Hindi cannot be equated with English.

(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record hereafter. Please sit down. Your party member has already been given the chance. Yes, Mr. Aladi Aruna.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Sir, the Jawaharlal Nehru University has been established for the development of science and technology among the students. A language which is well developed is accepted as one of the effective media for teaching science and technology and that is why most of the Universities have adopted English as the medium of instruction. But no University is intended to do the work of propagation of Hindi. This is a blatant violation of the accepted policy. The work of propagation of Hindi may be the duty of the Hindi Prachar Sabhas and not that of any University.

SHRI R. MOHANARANGAM: Correct.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: So, will the Government come forward to prevent the Jawaharlal Nehru University, if it has changed itself to the course of propagation of Hindi, from doing so?

SHRI R. MOHANARANGAM: Propagation of a particular language.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Government take steps for the prevention of this?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I could not follow the question, the second part of the question, Sir. He asked whether the Government will take steps for what? I could not follow the question.

SHRI R. MOHANARANGAM: To prevent giving importance to a particular language other than English.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, the regional languages and all the other languages which have been mentioned are being encouraged.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: The Jawaharlal Nehru University is there for the propagation of science and technology and not for the propagation of Hindi. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please sit down. Next Question. Question No. 204. Mr. K. K. Birla.

..Inaccuracies in Text books in Schools..

*204. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA †

SHRI BHUVNESH CHATURVEDI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Krishna Kumar Birla.